



सत्यमेव जयते

# दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

मुख्यालय : 15 -A अभिषेक पुरम, जानकी पुरम विस्तार, लखनऊ (उ०प्र०) - 226021

(राजाज्ञा सं० 1083/7-137, 17/27-1928 तथा संख्या 99/7139, दिनांक 22 जनवरी 1931 द्वारा मान्यता प्राप्त)

## डॉ० नृपेन्द्र सिंह

प्रदेश अध्यक्ष

अध्यक्षीय कार्यालय: जनपद न्यायालय, बदायूँ

☎ 9412462719, 9259049509

## संदीप चौहान

संरक्षक

☎ 9451239147

✉ dnksup1931@gmail.com

## नरेन्द्र विक्रम सिंह

प्रदेश महासचिव

महासचिव कार्यालय: जनपद न्यायालय, श्रावस्ती

☎ 9415572022, 7398372302

## वरिष्ठ उपाध्यक्ष

अभिषेक सिंह (इलाहाबाद)

## उपाध्यक्ष

हरि शंकर श्रीवास्तव (लखीमपुर)

सैय्यद मोहम्मद ताहा (बाराबंकी)

विवेक दत्त उपाध्याय (फर्रुखाबाद)

## उपाध्यक्ष (मनोननीत)

अमरेश चन्द दुबे (मिर्जापुर)

जय शंकर त्रिवेदी (बाराबंकी)

संजीव विश्वकर्मा (गौतमबुद्धनगर)

प्रतिभा तोमर (हापुड़)

विवेक त्रिपाठी (चन्दौली)

धीरेन्द्र सिंह (कानपुर देहात)

अवनीश श्रीवास्तव (इलाहाबाद)

## संयुक्त सचिव

अनिल कुमार श्रीवास्तव (अम्बेडकरनगर)

प्रिय रंजन किशोर (बागपत)

प्रेम नारायण (सीतापुर)

संदीप कुमार यादव (सहारनपुर)

## संयुक्त सचिव (मनोननीत)

श्रीभागवत शुक्ल (बस्ती)

## संगठन सचिव

देवराज सिंह (अलीगढ़)

अवधेश खरे (ललितपुर)

सुधीर कुमार श्रीवास्तव (श्रावस्ती)

सुधीर कुमार विश्नोई (बिजनौर)

## संगठन सचिव (मनोननीत)

अजय गर्ग (मुजफ्फरनगर)

## कोषाध्यक्ष

नीरज श्रीवास्तव (लखनऊ)

## सांस्कृतिक सचिव

रतन कुमार श्रीवास्तव (इलाहाबाद)

पत्रांक : 52/2021

दिनांक : 27-06-2021

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक महोदय

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

विषय : माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संघ श्रीमान् जी को अवगत कराना चाहता है कि :-

माननीय न्यायालय के आदेश No. PS (RG)/108/2019: Allahabad Dated :

February 11, 2019 द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था देते हुए कर्मचारीगण के सेवा लाभों को ससमय निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किया गया है। जिनमें मुख्य रूप से चिकित्साप्रति पूर्ति एक माह, मृतक आश्रित नियुक्ति तीन माह में निस्तारित करने, सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन व अन्य लाभ अविलंब देने, रिक्त पदों पर पदोन्नति इत्यादि से सम्बन्धित स्पष्ट निर्देश दिया गया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों में जनपद न्यायाधीश महोदयों द्वारा विभिन्न प्रकार की समितियां/प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर कर्मचारीगण के सेवा लाभ सम्बन्धित प्रकरणों को लम्बे समय तक विचाराधीन रखते हैं।

आपसे अनुरोध है कि कर्मचारीगण के सेवा लाभों सम्बन्धित वर्तमान में प्रत्येक जजशिप में लम्बित प्रकरणों ( मृतक कर्मचारियों के देयकों अथवा आश्रितों को नियुक्तियां, सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, रिक्त पदों पर प्रोन्नत सम्बन्धित, कर्मचारियों के स्थाईकरण, वेतन विसंगति, विभागीय जांच इत्यादि ) की अद्यतन सूचना मांगते हुए ससमय निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किये जाने की कृपा करें।

संघ आपका आभारी रहेगा .....

आपका

(नरेन्द्र विक्रम सिंह)

प्रान्तीय महासचिव

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उ०प्र०

प्रतिलिपि :-

- 1- समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कर्मचारीगण के सेवा लाभ सम्बन्धी समस्त प्रकरणों को माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित समयावधि के अन्तर्गत निस्तारित करने की कृपा करें।